

14- विक्रय-पत्र

विक्रय पत्र मूल्य..

बाजार मूल्य....

स्टाम्प शुल्क...

आवास विकास शुल्क..

वार्ड...

कलेक्टर दर

यह विक्रय-पत्र आज दिनांक को श्री पुत्र श्री
 उम्र निवासी ग्राम/मकान नम्बर मौहल्ला/वार्ड तहसील
 जिला

जिसे आगे विक्रेता कहा गया है एवं जो इस विक्रय-पत्र का प्रथम पक्षकार है। एवं
 श्री पुत्र श्री उम्र निवासी ग्राम/मकान नम्बर
 मौहल्ला/वार्ड तहसील जिला

जिसे आगे क्रेता कहा गया है एवं जो इस विक्रय-पत्र का द्वितीय पक्षकार है के मध्य निष्पादित किया गया है। चूंकि प्रथम पक्ष का एक कृषि भूमि/मकान/भूखण्ड संख्या जो मौहल्ला/वार्ड
 ... तहसील जिला में स्थित है, का स्वामी है। विक्रेता के पक्ष में उक्त अचल सम्पत्ति के ... विलेख का पंजीकरण उप निबन्धक कार्यालय.... में संख्या... दिनांक... को पंजीकृत हुआ है/विरासत में प्राप्त हुआ है (जो लागू नहीं है, उसे काट दें)। उक्त अचल सम्पत्ति की सीमायें एवं क्षेत्रफल निम्न प्रकार हैं
 :-

विवरण

मौहल्ला/मौजा/ग्राम का नाम

दिशा भुजा का माप सीमाएँ

पूर्व

पश्चिम

उत्तर

दक्षिण

क्षेत्रफल (कृषि भूमि/एकड़/वर्ग मीटर/वर्ग फुट) निर्माण का क्षेत्रफल
 (यदि कोई हो)..... सड़क की चौड़ाई जिस पर भूखण्ड/मकान खुलता है
 उक्त कृषि भूमि/भूखण्ड/भवन का स्वामित्व प्रथम पक्षकार विक्रेता का है प्रथम पक्षकार उक्त कृषि भूमि/भूखण्ड/भवन को विक्रय करना चाहता है

उक्त कृषि भूमि/मकान/भूखण्ड को विक्रय करने का प्रथम पक्ष को पूर्ण अधिकार है प्रथम पक्ष ने इससे पूर्व कृषि भूमि/मकान/भूखण्ड को किसी अन्य को विक्रय, दान, बन्धक या अन्य प्रकार से हस्तान्तरित नहीं किया है तथा उक्त मकान पर प्रथम पक्ष ही काबिज है तथा निरन्तर उसके स्वामित्व में है। उक्त मकान पर कोई ऋण, कर एवं अन्य प्रभार बकाया नहीं है और न ही किसी अदालती कार्यवाही में उक्त कृषि भूमि/मकान/भूखण्ड विवादास्पद है। उक्त कृषि भूमि/मकान/भूखण्ड स्वत्व की दृष्टि से हर तरह से पाक एवं साफ है जिसका एक मात्र स्वामी प्रथम पक्ष है। चूंकि प्रथम पक्ष को अपने निजी एवं पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु

रूपयों की आवश्यकता है इसलिए उक्त कृषि भूमि/मकान/भूखण्ड को रूपये (अक्षरों में) रूपये जिसके आधे (अक्षरों में) रूपये होते हैं में विक्रय का प्रस्ताव प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष के समक्ष रखा गया जिसे द्वितीय पक्ष द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। अतएव यह विक्रय-पत्र साक्षात्कृत करता है :

(1) यह कि उक्त विक्रेता प्रथम पक्ष ने क्रेता द्वितीय पक्ष से उक्त कृषि भूमि/मकान/भूखण्ड के प्रतिफल की धनराशि रूपये (अक्षरों में) रूपये प्राप्त कर लिये हैं तथा अब कुछ भी लेना शेष नहीं है।

(2) यह कि कृषि भूमि/मकान/भूखण्ड का कब्जा क्रेता को सम्भला दिया है।

(3) यह कि उक्त कृषि भूमि/मकान/भूखण्ड सभी प्रकार के भारों एवं प्रभारों से मुक्त है। उक्त विक्रय-पत्र की दिनांक से पूर्व के समस्त प्रभारों का दायित्व विक्रेता का तथा भविष्य में उत्पन्न प्रभार का दायित्व द्वितीय पक्ष क्रेता का होगा। कृषि भूमि/मकान/भूखण्ड के स्वामित्व सम्बन्धी त्रुटि के लिये विक्रेता प्रथम पक्ष उत्तरदायी होगा।

(4) यह कि इस विक्रय-पत्र के निष्पादन की तिथि से उक्त कृषि भूमि/मकान/भूखण्ड का स्वामित्व क्रेता में निहित हो गया है एवं वह स्वयं, उसका उत्तराधिकारी, वारिस या अभिहस्ताकिती उसका उपयोग एवं उपभोग अपनी इच्छानुसार कर सकेंगे जिसमें विक्रेता, उसके उत्तराधिकारी एवं वारिस किसी प्रकार की बाधा नहीं डालेंगे।

(5) यह कि इस विक्रय-पत्र के निष्पादन की तिथि से क्रेता उक्त कृषि भूमि/मकान/भूखण्ड को किसी को भी हस्तान्तरित करने एवं इच्छानुसार उपभोग व निष्पादन करने के लिए स्वतन्त्र है।

(6) यह कि उक्त कृषि भूमि/मकान/भूखण्ड पर कोई कर आदि बकाया नहीं है तथा भविष्य में देय करों का भुगतान क्रेता द्वारा किया जायेगा।

(7) इस विक्रय-पत्र पर देय स्टाम्प शुल्क देने का दायित्व क्रेता का होगा।

अतएव उपरोक्त शर्तों के साक्ष्य स्वरूप दोनों पक्षकारों ने बिना किसी दबाव के तथा अपने पूर्ण होशहवास में निम्नलिखित दो गवाहों के समक्ष हस्ताक्षर किये हैं।

साक्षीगण

(1) हस्ताक्षर साक्षी हस्ताक्षर प्रथम पक्ष विक्रेता

नामपिता का नाम.....

पता

(2) हस्ताक्षर साक्षी..... हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष क्रेता

नाम ...पिता का नाम.....

पता